## राजस्थान सरकार
## स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम, जयपुर 302005
दूरभाष नं0 0141–2226722, वेबसाईट www.cmar-india.org ई–मेलः dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ2(घ)(निल.)आरएमएस / जांच / डीएलबी / 2020 / 627 दिनांक : 18/2/2020

### आदेश

श्री राघव सिंह मीणा, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सूरजगढ हाल सचिव, नगर परिषद, दौसा के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर द्वारा अपराध संख्या 310/17 में अभियोजन स्वीकृति चाहे जाने पर विभाग द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर श्री राघव सिंह मीणा, तत्का. अधि.अधि.न.पा.सूरजगढ के विरूद्ध आदेश कमांक प.2/अ.सं. 310/17/06/एसीबी/डीएलबी/19/243–248 दिनांक 07.02.2020 जारी की गयी है।

अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 07.07.2010 में दिये गये निर्देशों एवं राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राघव सिंह मीणा, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सूरजगढ हाल सचिव, नगर परिषद, दौसा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में श्री मीणा का मुख्यालय निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर में किया जाता है। श्री राघव सिंह मीणा को निलम्बन अवधि में नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर पालिका, सूरजगढ से देय होगा ।

(उज्जवल राठौड)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ2(घ)(निल.)आरएमएस / जांच / डीएलबी / 2020 / 628-639 दिनांक : 18/2/2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, दौसा ।
4. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सभापति/अध्यक्ष, नगर परिषद, दौसा/सूरजगढ।
6. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद, दौसा/सूरजगढ।
7. श्री राघव सिंह मीणा, सचिव, नगर परिषद, दौसा वास्ते तामील **मार्फत** आयुक्त, परिषद, दौसा।
8. संस्थापन अनुभाग–आरएमएस, निदेशालय / सहा.निदेशक (सतर्कता), निदेशालय।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(डा. प्रवीण कुमार)
अतिरिक्त निदेशक

Scanned with CamScanner